

**जेनेरिक दवाओं
की बढ़ती कीमतों पर
केंद्र को नोटिस**

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जेनेरिक दवाओं की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताभ लाला व न्यायाधीश अनिल कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। यूपी ने कोर्ट से नेशनल फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और रसायन एवं खाद मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग को जेनेरिक दवाओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश देने का आग्रह किया है।